

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का प्रकार	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मदन लाल, डाईट कुचामनसिटी, नागौर	गणित	23/03/1968	11-12-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	11-12-2020
2	रामनिवास, किशनगढ़बास, अलवर	गणित	15/07/1969	25-02-91 त.श्रे.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-13	25-02-2021
3	पूर्णमा व्यास, गोगुन्दा, उदयपुर	गणित	8/9/1965	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	02-07-2020
4	लीला राम यादव, भूपसेड़ा, अलवर	गणित	1/3/1965	03-07-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	03-07-2020
5	योगेन्द्र गांधी, खेरवाड़ा, उदयपुर	गणित	4/9/1965	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	02-07-2020
6	भूपेन्द्र सिंह सलूजा, वरसिंगसर (बीकानेर)	भौतिक विज्ञान	29/07/1967	31-12-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	31-12-2020
7	राधेश्याम सोनी, श्री बांगड़ राउमावि पाली	भौतिक विज्ञान	11/4/1966	22-12-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	22-12-2020
8	मंजू चौधरी, कुचामन सिटी, नागौर	गणित	8/7/1968	01-07-91 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	01-07-2021
9	सुशीला मेनारिया, कानपुर, उदयपुर	गणित	15/12/1964	02-07-90 व.अ.	डीपीसी	तृतीय (30 वर्ष)	L-14	02-07-2020

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(सौरभ स्वामी)
आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 09-09-21

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगक/एसीपी/स्वीकृति/2021/333

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।
- 04- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 05- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 06- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/बाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर घयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जय प्रकाश वर्मा, दीगोद, कोटा	गणित	7/9/1965	03-02-97 व्याख्याता	अनुदानित से स्क्रिण्ड	द्वितीय (20 वर्ष)	L-14	03-02-2017

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं नियम 2017 के तहत उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-09 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा। निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

662
(सौरभ स्वामी)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगकृ/आरवीआरईएस/एसीपी/21/113 दिनांक: 09-09-21

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।

02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।

03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।

04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।

05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।

07- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर